- 7

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
ख-शाखा

संख्या जीएवी-19(3)-7/97 तारीख 17-11-2000

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से राज्यपाल सचिवालय हिमाचल प्रदेश में निजी सहायक, वर्ग-111 (अराजपत्रित) के पद के लिए, इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते है, अर्थात :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्यपाल सचिवालय, निजी सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती एंव प्रोन्नति नियम 2000 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत होंगे ।

निरसन और व्यावृति

2. (1) इस विभाग की अधिसूचना सं0 9-7/73-जीएवी दिनांक 5-12-1973 द्वारा अधिसूचित दी रैकरूटमैंट एण्ड प्रमोशन रूल्ज इन रिस्पैक्ट आफ क्लास-III (मिनिस्ट्रियल सर्विसज) आफ गवर्नरज सैक्रेटरीएट का एतद् द्वारा उस विस्तार तक निरसन किया जाता है जहां तक की ये निजी सहायक के पद को लागू हैं ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा

आयुक्त एंव सचिव (सामान्य प्रशासन)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन सं. जीएवी-10(3)-7/97 तारीख 17-11-2000

प्रतिलिपि प्रेषित है :

1. वित्तायुक्त एवं सचिव(वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2

2. आयुक्त एवं सचिव(कार्मिक), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2

3. सचिव राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, राज भवन, शिमला-2 को पांच अतिरिक्त प्रतियों सहित ।

4. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला-2. को तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित ।

5. अतिरिक्त सचिव, सामान्य प्रशासन-सी अनुभाग, हि. प्र. शिमला-2

6. वही विधि अधिकारी, विधि विभाग, हिही प्रही सचिवालय, शिमला-2

7. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिही प्रही शिमला-5 को असाधारण राजपत्र में प्रकाशन हेतू तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित ।

अतिरिक्त सचिव (सामान्य प्रशासन)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

उपाबन्ध " क "

हिमाचल प्रदेश राज्यपाल सचिवालय में निजी सहायक वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम

---

1. पद का नाम	निजी सहायक ।
2. पदों की संख्या	2 (दो) ।
3. वर्गीकरण	वर्ग-III (अराजपत्रित) (लिपिकीय सेवाएं)
4. वेतनमान	6400-200-7000-220-8100-275-10300-340-10640 रूपए
5. चयन पद अथवा अचयन पद	अचयन ।
6. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	लागू नहीं ।
7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	लागू नहीं ।
8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होगी या नहीं	लागू नहीं ।
9. परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें
10. भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा,
11. प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियों, जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जाएगा	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका 6 वर्ष वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में (31-3-98 तक) की लगातार तदर्थ सेवा को सम्मलित करके 6 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो , ऐसा न होने पर वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक/कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक

गई तदर्थ सेवा सहित 8 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो, दोनो के न होने पर कनिष्ठ आशुलिपिको में से प्रोन्नति द्वारा जिनका 11 वर्ष का नियमित सेवाकाल ग्रा ग्रेड में 31-3-98 तक की गई लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके 11 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में 31-3-1998 तक की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए, गणना में ली जाएगी, कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति प्रोन्नति भर्ती एंव प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी ।

परन्तु यह कि उन सभी मामलों में जिन में कोई कनिष्ट व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल 31.3.98 तक तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो, को शामिल करके) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ट सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ट व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा ग्रा पद के भर्ती एंव प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किये जाने सम्बन्धि विचार के लिए अपात्र हो जाता है , वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा :

स्पष्टीकरण: -
अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा। यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोरसिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ

सर्वीसीज इन हिमाचल स्टेट नान टेक्नीकल सर्वीसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिये गये हों या जिसे एक्स सर्वीसमैन(रिजर्वेशन आफ वैकनसीज इन दी हिमाचल प्रदेश टेक्नीकल सर्वीसिज) रूल्ज 1985 के नियम-3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गये हों ।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व 31.3.98 तक की गई तदर्थ सेवा यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु 31.3.98 तक की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा [को गणना में लेने के पश्चात जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना	जैसी की सरकार द्वारा समय समय पर गठित की जाए ।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा	जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित है
14. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा	लागू नहीं
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन	लागू नहीं
16. आरक्षण	उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछडे वर्गों और अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा	लागू नहीं
18. शिथिल करने की शक्ति	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक है या समीचिन है वहां वह कारणों को अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बावत, शिथिल कर सकेगी ।

—— - ——